पत्र संख्या-विधि- FDR वापसी (2020-21)// 576 /2021035 //वाणिज्य कर।

कार्यालय – कमिश्नर, वाणिजय कर, उ0प्र0

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 दिसम्बर , 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

जी0एस0टी0 एक्ट लागू होने के उपरान्त प्रदेश के प्रत्येक जोन के अधीनस्थ खण्डों में फर्म स्वामियों द्वारा वैट अवधि में पंजीयन के समय जमानत के रुप में दाखिल की गई एफ0डी0आर0 वापस करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है ।

जी0एस0टी0 एक्ट में पंजीयन हेतु किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी लिए जाने का प्रावधान नही है । अतः वैट अवधि में जमा करायी गई सिक्योरिटी वैट एक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही निःशेष हो जाने पर व्यापारी द्वारा वापस करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर वापस किए जाने में कोई बाधा प्रतीत नही होती है । किन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त व्यवस्था नान जी0एस0टी0 गुड्स के व्यापारियों पर लागू नही होगी । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 19(8) के निम्न प्रावधान हैः- "The registering authority may, on application by the dealer or the person concerned, order the discharge of the surety or refund any amount or part thereof deposited by way of security by the dealer or the person concerned under this section or under any other section if it is not required for the purpose of this act".

परन्तु उक्त सिक्योरिटी की वापसी से पूर्व खण्डाधिकारियों को निम्न शर्तों के आधार पर सिक्योरिटी वापस किए जाने का निर्णय लेना होगाः-

1- जिन फर्मो की पत्रावली वैट अधिनियम के अन्तर्गत ही सदैव के लिए बन्द की जा चुकी है एंव कोई बकाया अवशेष नही है उनकी एफ0डी0आर0 नियमानुसार फर्मों को वापस की जा सकती है ।

2- वह फर्में जिनका वैट अवधि 2017-18 तक के समस्त वर्षों के वादों का निस्तारण पूर्ण हो तथा-

(क)- कोई बकाया अवशेष न हो ।

(ख)- कोई प्रथम / द्वीतीय अपील, रिवीजन मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में पैंडिंग न हो ।

(ग)- कोई अर्थदण्ड शेष न हो ।

(घ)- कोई विभागीय फार्म अवशेष न हो ।

इस सम्बन्ध में व्यापारी सिक्योरिटी वापसी का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित खण्डाधिकारी को जमा करेंगें, प्रार्थना पत्र का प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रार्थना पत्र पर खण्डाधिकारी व्यापारी की सिक्योरिटी वापस करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर 2008 के सेक्शन 19(8) के अन्तर्गत वैट रजिस्ट्रेशन के समय जमा की गई सिक्योरिटी की वापसी हेतु

सेवा मे,

खण्डाधिकारी,

जनपद-------

विषयः- सिक्योरिटी की वापसी

श्रीमान्,

वैट रजिस्ट्रेशन के समय मेरे द्वारा ---------मूल्य की सिक्योरिटी बैंक ड्राफ्ट / अन्य के माध्यम से जमा थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

1- फर्म का नाम व टिन न0-

2- पता

3- सिक्योरिटी की राशि / बैंक व अन्य विवरण

दिनांक — पूरा नाम व हस्ताक्षर

स्थान — फर्म का नाम

<u>घोषणा</u>

मैं श्री /श्रीमती/सुश्री------------------------पुत्र / पुत्री /पत्नी------------------------घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सत्य है तथा वाणिज्य कर विभाग का जी0एस0टी0 अवधि से पूर्व का कोई बकाया मुझ पर अवशेष नही है / कोई अपील / अर्थदण्ड / विभागीय फार्म अवशेष नही है / फर्म जी0एस0टी0 में माइग्रेट हो गई है / सदैव के लिए बंद हो चुकी है । (उपयुक्त पर टिक करें)

मेरी जानकारी में उपरोक्त सूचनाएं सही है ।

दिनांक — पूरा नाम व हस्ताक्षर

स्थान